

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.08.2018 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.08.2018 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो. अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो. पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4.	प्रो. अनुपमा सक्सेना	सदस्य
5.	प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो. व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
7.	प्रो. व्ही.एस. राठौर	सदस्य
8.	डॉ. रेणु भट्ट	सदस्य
9.	प्रो. बी.एन. तिवारी	सदस्य
10.	प्रो० एल.पी. पटैरिया	सदस्य
11.	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
12.	डॉ. राकेश पाण्डेय	सदस्य
13.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित
14.	प्रो. एम.के. सिंह	विशेष आमंत्रित
15.	डॉ० आशुतोष सिंह	विशेष आमंत्रित
16.	डॉ० अमितेष् झा	विशेष आमंत्रित
17.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 नेट, गेट इत्यादी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किये जाने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करना।

समिति ने यह निर्णय लिया कि वर्तमान में यह विषय स्थगित रखा जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ और कई प्रकार की उपलब्धियों जैसे Best Teacher Award, Best Employee Award, Best Research Paper Award (School wise) इत्यादि के लिए व्यापक नीति तैयार कर, विनियम बनाने हेतु समिति गठित की जाये। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 03 शोध उपाधि हेतु समतुल्यता, प्रमाण प्रदान करने पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डॉ० देव कुमार देवांगन को समतुल्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाये।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में यूजीसी रेग्यूलेशन 2009 के अनुसार शोध हेतु समतुल्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

विषय क्र. 04 मेलो मोमेंट्स एनोवेशन हैदराबाद एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के मध्य होने वाले मेमोरण्डम ऑफ अंडरस्टेडीज (MoU) प्रारूप अनुमोदन बाबत।

समिति ने यह निर्णय लिया कि MoU करने हेतु प्रस्ताव का प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन अनुमोदन ना किया जाये। MoU के प्रावधानों का पुनः परीक्षण कर सरकारी संस्थानों के लिये प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप MoU प्रारूपित किया जाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि IQAC प्रकोष्ठ एवं समस्त अधिष्ठातागण मिलकर MoU के लिये स्पष्ट नीति तथा प्रारूप का निर्धारण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विषय क्र. 05 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 अंगीकृत किये जाने पर विचार संबंधी।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतम शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियम 2018 को अंगीकृत किया जाये।

विषय क्र. 06 शैक्षणिक सत्र 2018-19 में बी.टेक प्रथम वर्ष की कक्षायें दिनांक 20.08.2018 से प्रारम्भ किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

स्थायी समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में बी.टेक प्रथम वर्ष की कक्षायें दिनांक 20.08.2018 से प्रारम्भ किये जाने की सूचना ग्रहण की गई।

समिति ने यह निर्णय लिया कि B.Tech.-1st Year के अकादमिक कैलेण्डर 2018-19 में संशोधन की आवश्यकता है। अतः 1st Year के लिए अकादमिक कैलेण्डर में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला प्रस्तुत करें।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त अकादमिक कैलेण्डर के संशोधन का अनुमोदन प्रदान करने हेतु कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 07 राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (National Academic Depository(NAD) के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं के विभिन्न प्रमाण पत्रों को Digitalised रूप में उपलब्ध कराने के संबंध में।

01. इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक द्वारा NSDL के online testing portal पर सत्र 2015-16 के उपाधि/पत्रोपाधि पत्रों को e-certificates के रूप में online प्रदर्शित करते हुये जानकारी दी गई कि :-

अ) सत्र 2015-16 के 71 पाठ्यक्रमों के विश्वविद्यालय में उपलब्ध परंपरागत उपाधियों/पत्रोपाधियों के कुल 27 प्रारूप स्कैन कर NSDL को प्रेषित किये गये तथा इस दौरान इन प्रारूपों में जो त्रुटियां परिलक्षित हुई है उनको सुधार करते हुये, कुल 8/09 टेम्पलेट्स online तैयार करा दिये गये है।

इस दौरान परंपरागत उपाधियों/पत्रोपाधियों के उपलब्ध प्रारूपों में जो छोटी-छोटी त्रुटियां थी उन्हें किस प्रकार से निराकृत कर टेम्पलेट्स तैयार किये गये, यह जानकारी भी समिति के समक्ष प्रदर्शित की गई।

ब) विश्वविद्यालय में जो परंपरागत उपाधियों/पत्रोपाधियों के प्रारूप पूर्व में भी विश्वविद्यालय में तैयार नहीं थे/उपलब्ध नहीं थे उन्हें भी किसी न किसी टेम्पलेट में समाहित कर e-certificate तैयार करा लिया गया है।

उदाहरण के लिए ऐसा पाठ्यक्रम B.S.W. एवं BALLB, B.COM LLB है जिनके e-certificate तैयार किये गये हैं।

स) बी.एड., एम.एड. एवं फिजिकल ऐज्युकेशन के प्रारूपों में "एज्युकेशन" शब्द के स्थान पर "एजुकेशन" कर दिया गया है। "समाजकार्य" पाठ्यक्रम से संबंधित प्रारूप में "सोसल" के स्थान पर "सोशल" किया गया है।

द) यह भी जानकारी दी गई कि समस्त पत्रोपाधि/उपाधियों में छात्र/छात्राओं के "हिन्दी" में नाम "गूगल इनपुट" के माध्यम से अंग्रेजी से हिन्दी में रूपांतरित किये गये हैं। विश्वविद्यालय में किसी भी रूप में डाटाबेस में छात्र/छात्राओं के नाम हिन्दी में उपलब्ध नहीं है, अतः उक्त प्रक्रिया में जो हिन्दी नाम गूगल इनपुट में रूपांतरित होकर e-certificate में मुद्रित हो रहे हैं उन्हीं को लिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है तथा यदि रूपांतरित हिन्दी नाम में कोई त्रुटि होती है तो इसे आवेदन करने पर सुधारने का प्रावधान भी है।

ई) समस्त e-certificates को विश्वविद्यालय परीक्षा शाखा के टी.आर. से डाटा परीक्षण कर तैयार कराया जा रहा है।

02. समिति ने NAD Cell के द्वारा किये गये प्रयासों एवं प्रगति की सराहना की।

03. समिति ने निर्णय लिया कि उपाधियों/पत्रोपाधियों में ग्रेड के समतुल्य श्रेणी (Division) का उल्लेख e-certificate में किया जाय।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि परीक्षा शाखा द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से अद्यतन कृत एवं प्रस्तुत समस्त कार्यवाही तथा प्रस्तावित फार्मेटों का अनुमोदन किया जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि NAD पर शैक्षणिक सत्र 2012-13 से बाद की जानकारी ही अपलोड की जाये।

विषय क्र. 08 विश्वविद्यालय शोध विनियम 2010 के अधीन शोधरत् शोधार्थियों के लिए फॉर्मेट निर्धारण एवं शोध विनियम में संशोधन हेतु विचार।

समिति ने शोध विनियम 2010 हेतु प्रस्तावित फार्मेटों का अनुमोदन किया।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव में से पैरा 14.4 एवं 14.5 को अमान्य किया जाता है।

समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के पैरा 14.6 से 14.9 तक को मान्य किया जाये तथा इसे विनियम 2010 क्रमांक 14.4 से 14.7 प्रदान किया जाये।

विषय क्र. 09 विभिन्न विभागों से प्राप्त अध्ययन मण्डल की अनुशंसित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन की पृष्टि पर विचार।

स्थायी समिति द्वारा निम्नानुसार शैक्षणिक विभागों के लिये अध्ययन मण्डलों से अनुशंसित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया :-

विभागों के नाम	बैठक दिनांक
01. इले. एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग	15.05.2018
02. प्राणीशास्त्र विभाग	06.07.2018
03. फोरेंसिक साईंस विभाग	28.06.2018
04. मानव शास्त्र विभाग	26.06.2018
05. समाज कार्य विभाग	06.07.2018
06. आंग्ल एवं देशी भाषायें विभाग	07.07.2018
07. वाणिज्य विभाग	12.07.2018
08. हिन्दी विभाग	30.06.2018
09. वनस्पति विज्ञान विभाग	28.05.2018
10. प्रबंध अध्ययन विभाग	22.06.2018
11. वानिकी विभाग	26.07.2018
12. राजनीति विज्ञान विभाग	27.06.2018
13. रसायनशास्त्र विभाग	23.06.2018
14. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	13.04.2018
15. इतिहास विभाग	09.07.2018
16. अर्थशास्त्र विभाग	13.07.2018
17. पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग	26.07.2018
18. शिक्षा विभाग	29.06.2018

विषय क्र. 10 बिलासपुर विश्वविद्यालय से स्थानांतरित शोधार्थियों के लिए विभागीय शोध समिति (DRC) के गठन पर विचार।

स्थायी समिति द्वारा विषय क्रमांक-10 को आगामी बैठक के लिये स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्र. 11 **Centre for Endangered Language** हेतु विभिन्न शैक्षणिक/तकनीकी/गैर शैक्षणिक पदों के लिए न्यूनतम अर्हता एवं सेन्टर के अनुरूप आवश्यक पदों के संबंध में विचार करना।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि Centre for Endangered Language हेतु विभिन्न शैक्षणिक/तकनीकी/गैर शैक्षणिक पदों के निर्धारण संबंधी तथा इन पदों के लिए न्यूनतम अर्हता इत्यादी संबंधी उचित प्रस्ताव हेतु एक समिति का गठन किया जावे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय किया कि उक्त समिति में Centre for Endangered Language के सभी प्रतिनिधि सदस्य होंगे तथा अन्य सदस्यों के नामित करने हेतु कुलपति महोदया/अध्यक्ष अधिकृत रहेंगी।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार

अ.अ.वि.क्र.01 विश्वविद्यालय के IQAC की बैठक दिनांक 14.08.2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।


विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि सत्र 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के AQAR, विभिन्न शैक्षणिक योजना एवं उपलब्धि तथा गुणवत्ता में सुधार संबंधी प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में कुलपति महोदया की अध्यक्षता में IQAC की बैठक दिनांक 14.08.2018 को आयोजित हुई है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सत्र 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के AQAR, विभिन्न शैक्षणिक योजना एवं उपलब्धि तथा गुणवत्ता में सुधार संबंधी प्रारूप के अनुमोदन हेतु IQAC की बैठक दिनांक 14.08.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।



कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव



कुलपति / अध्यक्ष